एमडीएमए ड्रग्स

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड पुलिस ने भारत-नेपाल सीमा के पास एक महिला को **10.23 करोड़ रुपए** मूल्य के 5.688 किलोग्राम मिथाइलीनडाइऑक्सी-मिथाइलैम्फेटामाइन (MDMA) के साथ गिरफ्तार किया और उसके **खिलाफ स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985** के तहत मामला दर्ज किया।

नोट: भारत की राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ नीति, संविधान के अनुच्छेद 47 द्वारा निर्देशित है, जो राज्य से औषधीय उपयोग को छोड़कर, **स्वास्थ्य के लिये हानिकारक मादक पदार्थों** के सेवन पर **प्रतिबंध** लगाने का निर्देश देता है।

- देश में **नशीली दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित** करने और **मादक पदार्थ कानूनों को लागू करने** की प्राथमिक ज़िम्मेदारी **केंद्र सरकार** की है।

मुख्य बिंदु

- **MDMA के बारे में:**
  - **MDMA (3,4-मिथाइलीनडाइऑक्सी-मिथाइलैम्फेटामाइन)**, **एमफैटेमिन** का एक **कृत्रिम व्युत्पन्न** है, जिसे व्यापक रूप से मनोरंजक दवा के रूप में जाना जाता है। **1980 के दशक** से यह **एक्सटसी**, **ई**, **मौली**, **XTC**, **X**, **बीन्स** और **एडम्स** जैसे नामों से लोकप्रिय रहा है।
  - **MDMA**, **मनोःसक्रिय पदार्थों** के एक वर्ग से संबंधित है, जिसे **एंटाक्टोजेन्स** (ग्रीक में, जिसका अर्थ है "अंदर तक छूना") कहा जाता है।
  - एक एंटाक्टोजेन्स के रूप में यह **उत्साह उत्पन्न** करता है, **भावनात्मक निकटता** बढ़ाता है, **सहानुभूति और संचार** को प्रोत्साहित करता है तथा **दमित स्मृतियों को पुनः प्राप्त करने** में सहायता करता है।
  - यह हृदय, तंत्रिका, वृक्क और यकृत प्रणालियों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।
  - इसके संभावित रूप से जानलेवा प्रभावों की तत्काल पहचान और नैदानिक एवं आपातकालीन स्थितियों में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- **स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985:**
  - यह अधिनियम मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों से संबंधित विनिर्माण, परिवहन **और उपभोग** जैसे कुछ कार्यों को नियंत्रित करता है।
  - अधिनियम के तहत, कुछ अवैध गतिविधियों जैसे भाँग की खेती, मादक दवाओं का निर्माण या उनमें संलिप्त व्यक्तियों को शरण देना एक अपराध है।
  - इस अपराध के लिये दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को **कम-से-कम 10 वर्ष के कठोर कारावास,** जिसे **20 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा कम-से-कम 1 लाख रुपए** का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  - **इसमें मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों** के अवैध व्यापार से प्राप्त या उसमें प्रयुक्त **संपत्ति को ज़ब्त करने** का भी प्रावधान है।
  - कुछ मामलों में जहाँ अपराध **दुहराया गया हो**, वहाँ **मृत्युदंड** का भी प्रावधान है।
  - इस अधिनियम के तहत वर्ष 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) का गठन किया गया।

- **भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिये उठाए गए कदम:**
  - **प्रोजेक्ट सनराइज़:**
    - इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में, विशेष रूप से इंजेक्शन द्वारा नशीली दवाओं का सेवन करने वाले लोगों में, **बढ़ते** HIV **प्रसार से निपटने के लिये** शुरू किया गया था।
  - **नशा मुक्त भारत:**
    - सरकार द्वारा 'नशा मुक्त भारत' अभियान शुरू किया गया है, जो **समुदाय आधारित जन जागरूकता कार्यक्रमों** पर केंद्रित है।
  - **निदान और NCORD पोर्टल:**
    - ये **ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स** हैं, जो नशा अपराधियों का विस्तृत **डाटा-बेस** रखते हैं तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नशा संबंधित अपराधों और प्रवृत्तियों को ट्रैक करने में मदद करते हैं।
  - **ज़ब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली(SIMS):**
    - **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो** को **SIMS सॉफ्टवेयर** विकसित करने हेतु वित्तीय सहायता दी गई है, जो **नशा अपराधों और अपराधियों का एक पूर्ण ऑनलाइन डाटा-बेस** तैयार करेगा।
  - **राष्ट्रीय नशा-सेवन सर्वेक्षण:**

- **सरकार एम्स के राष्ट्रीय नशा निर्भरता उपचार केंद्र** की सहायता से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की प्रवृत्ति को मापने के लिये राष्ट्रीय नशा-सेवन सर्वेक्षण भी आयोजित कर रही है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB):

- भारत सरकार ने **स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985** (NDPS Act) के अंतर्गत वर्ष **1986** में **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)** की स्थापना की।
- NCB, भारत में **मादक पदार्थ** कानून प्रवर्तन के लिये सर्वोच्च समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करता है और **गृह मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/mdma-drugs